न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री कालूराम, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 38/2016 (194/08)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता		1घीसा पुत्र मूला जाट निवासी धनेरियालील तहसील मेडता। 2तहसीलदार, मेडता।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.04.2018

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार मेडता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 334 दिनांक 05.08.81 जिसके द्वारा ग्राम धनेरियालील के साबिका खसरा नं. 93 रकबा 0.10 बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगोर से गैरमुमकिन बाडा के रूप में आवंटन किया, इसके पश्चात् राजस्व रेकर्ड में इस आशय का अंकन जरिये नामान्तरकरण सं. 248 दर्ज हुआ। उक्त आंवटन को निरस्त करवाने एंव पुनः अंगौर दर्ज करवाने के लिये दिनांक 29.12.07 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

1(1) प्रकरण इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का रेफरेंस स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 12.03.08 के द्वारा ग्राम धनेरियालील के गत खसरा नं. 93 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. अंगौर के वर्तमान ख.न. 93 किस्म गै.मु. अंगौर रकबा 0.10 बीघा गै.मु. बाडा का आवंटन किये जाने के सबंध में तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा पारित आदेश क्रमांक 334 दिनांक 05.08.81 को एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 248 ग्राम धनेरियालील के खसरा नं. 93 मी. रकबा 0.10 बीघा भूमि गै.मु. बाडा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2008–27 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को आवंटन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाया।

1(2) माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने प्रकरण संख्या – रेफरेन्स/एलआर/2008/4745/नागौर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता बनाम घीसा में निर्णय दिनांक 27.06.16 के अनुसार प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं. 1536/03 में पारित निर्णय में अंकित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित "जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति" द्वारा रेफरेन्स में प्रश्नगत भूमि बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अथवा नही? उक्त बाबत कोई रिपोर्ट हो तो एवं प्रश्नगत भूमि किस जल स्त्रोत अथवा तालाब का केचमेन्ट रहा बाबत स्पष्ट रिपोर्ट के साथ रेफरेन्स प्रकरण पुनः चाहा गया है। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः नंबर पर लिया जाकर और वांछित सूचना मंगवाई गई। रेफरेन्स प्रकरण के साथ ग्राम धनेरियालील की नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2028–27, संवत 2036–39, 2040–43 जमाबंदी संवत 2053–56, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण सं. 248 व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं.

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.04 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी को जिस आदेश से अधिकारों का सृजन हुआ। उससे संबंधित सूचना मंगवाई गई।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

2(1) संवत् 2008–27 में ग्राम धनेरियालील के साबिका खसरा नं. 93 नया खसरा नं. 93 की किस्म भूमि गैरमुमकिन अंगौर बतलाई। जिसकी पुष्टि खतौनी संवत 2008–27 ग्राम धनेरियालील से होती है। जिसे सेटलमेन्ट विभाग ने गैरमुमकिन अंगौर दर्ज किया है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2008–27 से होती है। तत्पश्चात तत्कालीन तहसीलदार मेडता ने अपने आदेश क्रमांक 334 दिनांक 05.08.81 गैरमुमकिन अंगौर भूमि में से अप्रार्थी घीसा पुत्र मूला जाति जाट साकिन धनेरियालील को मौजा धनेरियालील के खसरा नं. 93 में से रकबा 0.10 बीघा भूमि गै.मु. बाडा का आंवटन कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं. 248 स्वीकृत हुआ।

2(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि तहसीदार मेडता द्वारा नामान्तरकरण सं. 248 के अप्रार्थी घीसा के पक्ष में गै.मु. अंगौर भूमि के खातेदारी अधिकार सृजित हुए है। जबकि आराजी भूमि पानी का भराव क्षेत्र होने से इस प्रकार की भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत मनाही है।

2(3) तहसीलदार द्वारा भी उक्त भूमि किसी जल स्रोत का केचमेन्ट एरिया रहा है अथवा नही? के संबंध में जानकारी करने पर आराजी भूमि में ग्राम का पानी इकट्ठा होकर आधा पानी आकेली रास्ते पर व आधा पानी खेतो से होकर हाल खसरा नं. 59 जो कि गै.मु. नाडी है, में जाता है। इससे आराजी भूमि पानी का भराव व बहाव क्षेत्र होना भी साबित होता है।

2(4) प्रश्नगत भूमि आधार तिथि दिनांक 15.08.47 को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगौर दर्ज थी। उन्होने यह भी दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 की पालना में उक्त प्रकार की भूमि में किये गये समस्त आवंटन/नियमन एवं बेचान आदि अवैध है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

3 वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि की किस्म आधार तिथी 15.08.47 को गैरमुमकिन अंगौर होना खतौनी संवत 2008–27 से स्पष्ट है। तत्पश्चात भू–प्रबन्धक विभाग ने भी किस्म भूमि गैरमुमकिन अंगौर दर्ज की। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2008–27 से होती है। तहसीलदार मेडता ने अपने आदेश क्रमांक 334 दिनांक 05.08.81 के द्वारा अप्रार्थी घीसा पुत्र मूला जाति जाट साकिन धनेरियालील के खसरा नं. 93 में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करने का आदेश दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 248 के द्वारा अप्रार्थी घीसा के नाम स्वीकृत होने पर उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार सृजित होना अभिलेख से स्पष्ट है। नदी, गोचर, पायतन, आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/03 में दिनांक 02.08.04 को निर्णय पारित कर केचमेन्ट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाने के निर्देश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट के अवलोकन से अंगौर भूमि में से किस्म गै.मु. बाडा कायम किया जाना अभिलेख पर है। जबकि अंगौर भूमि पानी का भराव एवं बहाव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों का कतई नियमन नहीं किया जाना चाहिये था। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पत्रांक 761 दिनांक 19.02.18 के अनुसार प्रश्नगत भूमि पुराने खसरा नं. 93 में ग्राम का पानी एकत्रित होकर आधा पानी जो ग्राम आकेली के रास्ते जाता

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

है तथा आधा पानी खेतो से होकर नया खसरा नं. 59 जो कि गै.मु. नाडी है, मे जाता है। इससे भी आराजी भूमि केचमेन्ट एरिया होना प्रकट करती है।

4 उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र का पुनः परीक्षण के दौरान जिस आदेश से जमाबंदी में खातेदारी अधिकार सृजित हुए, उक्त आदेश विधि विरूद्व होना प्रतीत होता है। अतः ग्राम धनेरियालील के गत खसरा नं. 93 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. अंगौर के वर्तमान ख.नं. 93 किस्म गै.मु. अंगौर रकबा 0.10 बीघा गै.मु. बाडा का आवंटन किये जाने के सबंध में तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा पारित आदेश क्रमांक 334 दिनांक 05.08.81 को एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 248 ग्राम धनेरियालील के खसरा नं. 93 मी. रकबा 0.10 बीघा भूमि गै.मु. बाडा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2008–27 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण एव तहसीलदार (भू.अ.) रियांबडी के पत्रांक 761 दिनांक 19.02.18 मूल अभिलेख सहित पुनः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

5 आदेश आज दिनांक 23.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर